न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—477/2016/223 (2016/00477)

1. कैलाश चन्द पुत्र बालकिशन शर्मा, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी हाल जालिया द्वितीय, तह0 मसूदा, जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र बालकिशन शर्मा, जाति ब्राहमण, नि0 जालिया द्वितीय, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
2. रामेश्वरलाल शर्मा पुत्र उदयलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम लोडियाना, वाया बिजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र लादूराम, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बिजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
4. हगामीलाल पुत्र सोहनलाल, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
5. बालूराम पुत्र मेवाराम, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम इन्द्रगढ़, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
6. हाथीराम पुत्र दूदाराम, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम बहादुरपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
7. रामेश्वर पुत्र गोपाल, जाति जाट, नि0 ग्राम दौलतपुरा प्रथम, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कैलाश पुत्र बालकिशन जाति ब्राहमण, निवासी फुलेरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— कान्ता बेवा कैलाश, जाति ब्राहमण, नि0 फुलेरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
   1/2— मनीष पुत्र कैलाश, जाति ब्राहमण, नि0 फुलेरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
   1/3— महिमा पुत्री कैलाश पत्नि अश्वनी, नि0 सांभर, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
   1/4— इन्दु शर्मा पुत्री कैलाश, जाति ब्राहमण, नि0 फुलेरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बिजयनगर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा, दिनांक 2.11.2016 अंतर्गत वाद संख्या 11/2011.

उपस्थितः—

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 30.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में विरूद्ध प्रतिवादी वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया । इस वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 19.11.2014 को पेश कर निवेदन किया कि वादी नंबर 1 ने उक्त वाद बहैसियत मुख्तयारआम पेश किया है । कैलाशचंद पुत्र बालकिशन जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी की ओर से उसके भाई मुख्तयारआम सत्यनारायण शर्मा पुत्र बालकिशन शर्मा द्वारा पेश किया गया है । उक्त वाद के साथ असल मुख्तयारनामा प्रथमदृष्टया फर्जी व बनावटी है जिसकी हस्तलेखक विशेषज्ञ व हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच की जाकर विशेषज्ञ द्वारा राय दी जा चुकी है इसलिये कानूनन फर्जी मुख्तयारनामे के आधार पर उक्त वाद कैलाशचंद की ओर से सत्यनारायण शर्मा द्वारा पेश वाद अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किया हुआ होने से चलने योग्य नहीं है तथा विधि द्वारा बाधित है इसलिये वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 2.11.25016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ नकल भू—प्रबधं विभाग द्वारा जारी पर्चा, नकल लगान की रसीदे संख्या 6, नकल पासबुक, नकल राजस्व कैम्प बाडी दिनांक 12.7.2004, नकल चालान कॉपी, नकल एफ0एस0एल0रिपोर्ट, नकल मुख्तयारनामा, नकल बैचाननामा की प्रतियां पेश निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजात प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को दे दिये थे जिन्होंने न्यायालय में पेश नहीं किया । अधिवक्ता की गलती के लिये प्रार्थी/रेस्पो0 को दण्डित नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त दस्तावेजात प्रकरण को निर्णित करनें सहायक दस्तावेज है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को पत्रावली पर लिया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में पहले क्यों पेश नहीं किये गये इस संबंध में कोई उचित कारण नहीं बताया है । उपरोक्त दस्तावेजात प्रस्तुत प्रकरण में सहायक सिद्ध नहीं होते है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात जवाब प्रार्थना का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजात संख्या 1 से 6 अपीलाधीन भूमि से संबंधित होकर सरकारी दस्तावेजात है व 7 व 8 मुख्तयारनामा व बेचाननामा है । मुख्तयारनामा व बेचाननामा भी अपीलाधीन भूमि से संबंधित होने एवं सुसंगत होने के कारण सही न्याय व निर्णय में सहायक दस्तावेजात होने से उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड

पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

7.

8. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कानूनी सिद्धातों से परे एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीतआदेश 7 नियम 11–डी जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 में वादीगण/अपीलांटस ने जिन तथ्यों के आधार पर दावसा प्रस्तुत किया था उस वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार अधी0न्याया0 को था इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों में नहीं आता है इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद खारिज करने में सैद्धांतिक व कानूनी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पूर्व वाद संख्या 185/2010 को आधार मानकर वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किये जाने का विवादित आदेश प्रदान किया है जो कि पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि जो प्रकरण संख्या 185/2010 बताया गया है वह अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120–बी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.11.2010 का है । यह रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने थाना बिजयनगर में दर्ज कराई थी जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है । इस प्रकार यह एक फौजदारी कार्यवाही है जो किसी भी प्रकार से दावे की श्रेणी में नहीं आता है । अधी0न्याया0 ने इस प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि फौजदारी प्रकरण की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में बाध्कारी नही है क्योंकि वह अलग कार्यवाही है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीगण द्वारा दिनांक 2.11.2010 का जो तथाकथित नोट नायब तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा लगाया जाना बताया है वह सही नहीं है क्योंकि दोनों दसतावेज दिनांक 4.11.2010 को पेश हुई हुए थे यह तथ्य पूर्णतया विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि वादी/अपीलांट संख्या 1 ने विवादित भूमि वादीगण/अपीलांट संख्या 2 लगायत 7 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय हेतु दिनांक 2.11.2010 को प्रस्तुत किया था जिस पर नायब तहसीलदार उप पंजीयक बिजयनगर ने दिनांक 4.11.2010 को नोट लगाया था तथा इसी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में दावा पेश किया है। अधी0न्याया0 द्वारा इस कानूनी प्रावधान की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि वादी संख्या 1 की थी जिसने वादी संख्या 2 लगायत 7 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वज्ञरा विक्रय की थी तथा विवादित भूमि से रेस्पो0 संख्या 1 का कोई हक एवं अधिकार नहीं था इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीगण ने दिनांक 2.11.2010 के नोट को वादकारण बताया है जो इस तिथि को उत्पन्न ही नहीं हुआ यह तथ्य पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि दिनांक 2.11.2010 को वादी संख्या 1 ने वादी अपीलांटस संख्या 2 लगायत 7 को विवादित भूमि विक्रय करने का दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिस पर नोट नायब तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा दिनांक 4.11.2010 को लगाया गया था । अधी0न्याया0 में वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद पेश करने के बाद प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाबदावा दिनांक 20.3.2014 को प्रस्तुत कर दिया था जिसमें प्रतिवादी ने जवाबदावे के पैरा संख्या 6 में प्रकरण संख्या

185/2010 के बारे में सभी तथ्य अंकित किये थे इसलिये अधी0न्याया0 को दावे व जवाबदावे के आधार पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर एवं तनकियात कायम कर दावे का निर्णय गुणदोष के आधार पर करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस के वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों को आधार मानते हुए खारिज किया है जो पूर्णतया अवैधानिक है क्योंकि यह प्रावधान वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर लागू नहीं होते है क्योंकि इस प्रावधान के अनुसार वह वाद ही निरस्त किया जा सकता है जो किसी विधि द्वारा वर्जित हो किन्तु वादीगण द्वारा वाद किसी भी विधि से वर्जित नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2014–15 सप्लीमेंट्री आर0आर0टी पेज 446, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 356, डी0एन0जे0 2010 (1) राज0 पेज 221 हाईकोर्ट, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 766, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 685 हाईकोर्ट, डी0एन0जे0 2014 (2) राज0 पेज 459 हाईकोर्ट, डी0एन0जे0 2014 (रेवेन्यू) पेज 265, आर0बी0जे0 2014 पेज 50, आर0आर0डी0 2014 पेज 570 एवं आर0आर0डी0 1987 पेज 291 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

9. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद खातेदार सत्यनारायण शर्मा वल्द बालकिशन शर्मा के मुख्तयारनामे से उसके भाई कैलाशचंद शर्मा वल्द बालकिशन द्वारा पेश किया गया है । यह मुख्तयारनामा फर्जी व बनावटी है जिसके आधार पर वाद पेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि उक्त मुख्तयारनामे को हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा अपनी जांच में बनावटी बताया गया है । वादपत्र में वादीगण ने इसी मुख्तयारनामे से वादी संख्या 2 लगायत 7 को विवादित भूमि को बेचान करना अंकित किया है तबा कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 उपं पंजीयक बिजयनगर ने बेचानामें को दिनांक 2.11.2010 को पंजीयन करके इस नोट के साथ लौटाया है कि ''दस्तावेज में वर्णित भूमि बाबत् एक अन्य दस्तावेज भी आज प्रस्तुत हुआ है जिसका विक्रेता कैलाशचंद पुत्र बालकिशन शर्मा, निवासी फुलेरा है । इस प्रकार एक ही भूमि के दो मालिकों द्वारा पृथक–पृथक बेचानपत्र प्रस्तुत हुए है । दोनों दस्तावेजों में स्वामित्व का निर्णय उप पंजीयक द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं दस्तावेज रोकने, लौटाने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है । अतः दस्तावेज पंजीयन कर इस शर्त पर रिलीज किया जाता है कि सक्षम न्यायालय से स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं होने तक पटवारी नामांतकरण की कार्यवाही नहीं करे । इसी आधार पर वादीगण वाद लाये है । वादीगण ने वादपत्र की मद संख्या 4 में हैरान परेशान करने की मंशा से वाद लाने का कथन किया है जबकि मद संख्या 8 में उप पंजीयक को प्रतिवादी संख्या 3 लिखा है । मद संख्या 8 में वादीगण ने वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना बताया है जबकि वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है तथा वादकारण दिनांक 2.11.2010 को होना बताया है जबकि वाद दिनांक 17.1.2011 को पेश किया है । इस प्रकार वादीगण/अपीलांटस को 2 माह 15 दिन का समय मिला फिर भी धारा 79 व 80 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान सरकार के कारिन्दों को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 82 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह किया है । यह भी कथन किय कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा लगाये नोट को सक्षम न्यायालय

में चुनौती भी नहीं दी है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

10. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने जिस प्रकरण संख्या 185/2010 के संबंध में कथन किया है वह धारा 420 467, 468, 120–बी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज रिपोर्ट के आधार फौजदारी प्रकरण है न कि वाद । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि फौजदारी प्रकरण राजस्व न्यायालय पर बाधित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में अपने जवाबदावे में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने थाना बिजयनगर में मुकदमा दर्ज कराया था जिसका मु0नं0 185/10 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120–बी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.11.2010 है । अधी0न्याया0 ने भी इसी आधार पर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाबदावे में रेस्पो0 संख्या 1 इस बाबत् ऐतराज कर चुके थे तो उन्हें पुनः इसी ऐतराज बाबत् आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 को वाद तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय इस संबंध में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये जा चुके है ऐसी स्थिति में इस स्तर पर वाद को तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत 2014–15 (सप्लीमेंट्री) आर0आर0टी0 पेज 446 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.11.2016 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 30.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।